

# राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड



कॉर्पोरेट पहचान सं. (CIN)—U40102RJ2000 SG016484  
रजि. एवं पंजीकृत मुख्यालय—विद्युत भवन जनपथ ज्योति नगर—जयपुर 302005



## कार्यालय संयुक्त निदेशक कार्मिक छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना

प्रशासनिक भवन, शक्ति परिसर चौकी मोतीपुरा, तह. छबड़ा जिला बांरा— 325220

Website :- energy.rajasthan.gov.in/rvunl

Email :- jdp.ctpp@rrvun.com

क्रमांक: रा.रा.वि.उ.नि./सी.टी.पी.पी./जेडीपी/एफ./प्रे.

दिनांक / / 2020

### विज्ञप्ति

इच्छुक एवं अनुभवी आवेदकों से निम्नलिखित व्यवसाय हेतु प्रमाणित मासिक अनुज्ञा शुल्क पर जो कि विभाग द्वारा अनुमोदित है, छबड़ा तापीय विद्युत गृह के आवासीय कालोनी में स्थित शापिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानों का आवंटन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2020 सायं 3.00 बजे तक संयुक्त निदेशक कार्मिक, छबड़ा तापीय विद्युत गृह, रा.वि.उ.नि., छबड़ा के कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित आवेदन पत्र इस कार्यालय से 200/- रुपये + अतिरिक्त GST निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किए जा सकते हैं। दुकानों का आवंटन विभागीय चयन समिति द्वारा संदर्भित अनुभव व योग्यता के आधार पर किया जाएगा एवं ऐसे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के आवेदन को विचारित नहीं किया जायेगा जिन्हें या जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पूर्व में दुकान का आवंटन किया जा चुका है। आवेदन पत्र के साथ रु. 5,000/- धरोहर राशि नकद या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट, जो कि लेखाधिकारी (सी.टी.पी.पी.), रा.वि.उ.नि. छबड़ा के नाम देय हो, संलग्न करना अत्यावश्यक है, जिसे दुकान आवंटन करने के बाद संचित निधि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं असफल आवेदकों को चयन समिति के निर्णय के बाद उक्त धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। बिना धरोहर राशि एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अतिरिक्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।

क्रम संख्या	दुकान का नाम	दुकान संख्या
1	लेडीज पार्लर एवं कॉस्मेटिक्स	2
2	फल एवं सब्जी	6
3	जनरल स्टोर एवं फुटवियर	7

संयुक्त निदेशक कार्मिक  
छबड़ा तापीय विद्युत गृह,  
रा.वि.उ.नि., छबड़ा

## वेबसाइट के लिए

छबड़ा तापीय विद्युत गृह की आवासीय कालोनी में स्थित शांपिंग काम्पलेक्स में 3 दुकान आवंटित करने के लिए नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं।

1. सफल आवेदक को लेखाधिकारी सी.टी.पी.पी कार्यालय में 20,000/- रू नकद प्रतिभूति राशि के रूप में दुकान का कब्जा लेने से पूर्व जमा कराने होंगे।
2. प्रारम्भ मे 11 महीने की किराया राशि पर दी जायेगी। सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर किराया राशि में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर 11 माह के लिये पुनः आवंटन किया जा सकता है।
3. संबधित व्यवसाय के सफल आवेदक प्रति महिने किराया राशि लेखाधिकारी सी.टी.पी. पी. कार्यालय मे जमा करायेगे।
4. नजदीक के गांवो के ऐसे प्रभावित व्यक्तियो जिनकी कृषि भूमि छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना में अधिगृहित की गई थी, को उनके योग्यता का मूल्यांकन करते हुये योग्यता संतोषजनक होने पर चयन कमेटी द्वारा प्राथमिकता दी जा सकती है परन्तु ऐसे परिवार के एक व्यक्ति को ही आवंटन किया जायेगा यदि पूर्व में आवंटन किया जा चुका है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।
5. लेडीज पार्लर एवं कॉस्मेटिक्स की दुकान हेतु दुकान न. 2 को केवल महिला आवेदको को ही देय होगी अतः दुकान न. 2 के लिये केवल महिलाएं ही आवेदन करें।
6. निम्न व्यवसाय के लिए 5,00,000/- रू की वित्तीय सामर्थयता आवश्यक है।

क्रम संख्या	दुकान का नाम	दुकान संख्या
1	लेडीज पार्लर एवं कॉस्मेटिक्स	2
2	फल एवं सब्जी	6
3	जनरल स्टोर एवं फुटवियर	7

संयुक्त निदेशक कार्मिक  
छबड़ा तापीय विद्युत गृह,  
रा.वि.उ.नि., छबड़ा